

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्य जज प्रमुख उपखण्ड अधिकारी बनर पीठ पिनारा काण्ड इशालिम पिनारा नं-39/2020	नम अह हुक्म में
----------------	---	--------------------------

20/10/20

पत्रावली पेश हुई। पार्थी उपस्थित।
पत्रावली वास्तु आर्षीपार्थी दिनांक 20/10/20 को
पेश की

22/10/20

पत्रावली पेश हुई। पार्थी उपस्थित।
पत्रावली दिनांक 23/10/20 को पेश की

23/10/20

पत्रावली पेश हुई। पार्थी अधिवक्ता उपस्थित।
पार्थी ने यह प्रार्थना पत्र 1955 की धारा 251A
अधिनियम संख्या 3 की उपधारा 1 के अन्तर्गत
नया रास्ता मार्ग दिखाने हेतु प्रस्तुत किया है
जो कि आराजी संख्या 330, 2295/330 में से
रास्ता कहा गया।

प्रकरण में लहरीखदार से रिपोर्ट ली गई। मुताबिक
रिपोर्ट लहरीखदार द्वारा आम उपरेडा की आराजी नम्बर
330, 2295/330 में से नया रास्ता लेने के लिए
प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो कि वर्तमान में अहमदशर
अजीज मोहम्मद सिराजुद्दीन, बिस्मिल्ला हातमा मूरबानू
पिता इमामुद्दीन मुसलमान निवासी उपरेडा के नाम
दर्ज रेकार्ड है। व उक्त आराजी नं. 2295/330
गे.मु. आकादी दर्ज रेकार्ड है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप
पार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उक्त आराजी नम्बर
2295/330 गे.मु. आकादी दर्ज रेकार्ड है जिसमें
रास्ता दर्ज नहीं किया जा सकता है जो पोषणीय नहीं
होकर शरीरज किये जाने योग्य होने से प्रार्थनापत्र
शरीरज किया जाता है।

पत्रावली नम्बर से काम की जाकर काखिला
दफतर हो।